



CENTRAL POOL OFFICE


RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, BIKANER

No. Pool/RAJUVAS/2021-2022/ 56

Dated: 15-06-2021

निविदा अनुरोध 1/2021

वर्ष 2021-2022 के लिए राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर विभिन्न प्रकार के यात्री वाहन (ए.सी. एवं नॉन ए.सी.) किराये पर लेने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र निविदा शुल्क 1000/- रु नगद राशि जमा कराकर पूल अधिकारी, राजूवास, बीकानेर से 15/06/2021 को प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 24/06/2021 तक प्राप्त कर दिनांक 25/06/2021 को दोपहर 12.00 बजे तक निविदा प्रपत्र बंद लिफाफा में जमा कराया जा सकता है। धरोहर राशि 30,000 रु बैंकर चैक या डी.डी., निविदा फार्म के साथ जमा करानी होगी। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा 25.06.2021 को सांय 04.00 बजे निविदा दाताओं के समक्ष पूल कार्यालय, राजूवास, बीकानेर में गठित समिति द्वारा खोली जावेगी। निविदा संबंधी अन्य जानकारी कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।


Pool Officer

Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences
Bikaner (Raj.)



CENTRAL POOL OFFICE

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, BIKANER

No.Pool/RAJUVAS/2021-2022/ 62

Dated: 15-06-2021

निविदा कब करने निविदा प्रकाशित होने के दिन से प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक दिनांक 25.06.2021 तक जमा करायी जा सकती है। निविदा खोलने की दिनांक 25/06/2021 को सायं 04.00 बजे पूल कार्यालय, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर में रखी गयी है।

(01) आवश्यकतानुसार बीकानेर से बाहर जाने हेतु निम्न वाहन किराए पर लिये जायेंगे:-

क.सं.	वाहन	दर प्रति किलोमीटर	
		ए.सी. वाहन(राशि)	नॉन ए.सी. वाहन(राशि)
1.	Bolero		
2.	Car Etios/ Car Swift Dzire/Verna/ Venue/Creta/ Aura/I-20/Sedan/Ertiga/SX4/Baleno/Amaze/ Nexa/Duster/Triber/Kiger S-Presso/Arena		
3.	Scorpio/Innova/Xylo/SUV		
4.	Bus-21 setter		
5.	Bus-30 setter		
6.	Bus-50 setter		

(02) आवश्यकतानुसार बीकानेर में स्थानीय कार्य हेतु निम्न वाहन किराए पर लिये जायेंगे:-

क.सं.	वाहन किराए	प्रतिदिन 100 कि.मी. तक चलने पर राशि (एक मुरत)		प्रतिदिन 100 कि.मी. से अधिक चलने पर प्रति कि.मी.	
		ए.सी. वाहन (रूपये)	नॉन ए.सी. वाहन(रूपये)	ए.सी. वाहन (रूपये)	नॉन ए.सी. वाहन(रूपये)
1.	Bolero				
2.	Car Etios/ Car Swift Dzire/Verna/ Venue/Creta/Aura /I20/Sedan/Ertiga/SX4/Baleno/Amaze/ S-Presso/Arena Nexa/Duster/Triber/Kiger				
3.	Scorpio/Innova/Xylo/SUV				
4.	Bus-21 setter				
5.	Bus-30 setter				
6.	Bus-50 setter				

नोट:- रात्रि निश्राम शुल्क 200/- प्रतिदिन अतिरिक्त देय होगा।


Pool Officer
Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences
Bikaner(Raj.)



CENTRAL POOL OFFICE

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, BIKANER

No.Pool/RAJUVAS/2021-2022/62

Dated : 15-06-2021

शर्तें

1. वाहन के रजिस्ट्रेशन/बीमा आदि के कागजात पूर्ण होने चाहिये एवं जो वाहन जो वाहन फर्म या प्रोपराईटर के नाम से है उनके कागजात मय वाहन चालक के नाम निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें।
 2. अन्य वाहन जो फर्म के नाम से पंजीकृत नहीं है उनके साथ निविदादाता (फर्म) द्वारा किये गये एग्रीमेंट की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें।
 3. वाहन चालक के पास लाईसेंस होना व साक्षर होना चाहिए वाहन चालक जो वाहन लेकर आ रहा है उसके लाईसेंस की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी उसके बाद उसको यात्रा प्रारम्भ हेतु भेजा जायेगा।
 4. वाहन वर्ष 2015 से पुराना नहीं होना चाहिए एवं टैक्सी वाहन के अलावा दूसरा पर्सनल वाहन मान्य नहीं होगा।
 5. विश्वविद्यालय द्वारा बीकानेर से बाहर जाने हेतु प्रयोग में लिये गये वाहन का भुगतान यात्रा के कुल दिनों को न्यूनतम कि. मी. प्रतिदिन की दूरी से गुणा करके या यात्रा के दौरान कुल तय की गई दूरी में से जो भी ज्यादा होगा के अनुरूप भुगतान किया जायेगा।
(अ) वाहन 250 कि.मी. से कम चलने पर न्यूनतम 250 कि.मी. का भुगतान किया जायेगा।
(ब) दिन की गणना वाहन उपयोग लेने वाले अधिकारी के पास वाहन पहुंचने की दिनांक व समय यात्रा पूर्ण कर अधिकारी द्वारा वाहन को छोड़ने की दिनांक व समय से की जायेगी।
- उदाहरणार्थ**
- (क) यदि वाहन संबंधित अधिकारी के पास (दिनांक 10.09.2016 को सायं 04.00 बजे पहुंचता है तथा अधिकारी यात्रा पूर्ण कर दिनांक 12.09.2016 को सायं 04.00 बजे वाहन छोड़ता है तो) दो दिन गिने जायेंगे और उसी प्रकार से भुगतान किया जायेगा।
- (1) **उपरोक्त (क)** यदि वाहन 505 कि.मी. उपयोग में लिया जाता है तो उसे 505 कि.मी. का भुगतान किया जायेगा चाहे दिनांक 10.09.2016 को वाहन 405 कि.मी. उपयोग किया गया तथा दिनांक 11.09.2016 को 100 कि.मी. का उपयोग किया गया हो।
- (2) **उपरोक्त (क)** यदि वाहन 475 कि.मी. का ही कुल उपयोग में लिया जाता है तो उसे 500 कि.मी. का भुगतान किया जायेगा। चाहे दिनांक 10.09.2016 को वाहन 405 कि.मी. उपयोग लिया गया तथा दिनांक 11.09.2016 को 90 कि.मी. का उपयोग किया गया हो।
6. कि.मी. की गणना यात्रा पर रवाना होने के स्थान तथा अधिकारी के निवास/कार्यालय से मानी जावेगी जिसका इन्द्राज लोग बुक में करके व अधिकारी के हस्ताक्षर कर बिल के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करना होगा।
 7. वाहन यात्रा के दौरान बीच रास्ते में खराब होने की अवस्था में फर्म द्वारा दूसरा वाहन उपलब्ध करवाना होगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी और दूसरा वाहन का किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
 8. भुगतान हेतु पेन नम्बर की प्रति व बिल की दो प्रतियाँ मय वाहन का पंजीयन, बीमा व लोग बुक की प्रति लगाकर प्रस्तुत करना होगा ऐसा न करने पर बिलों का भुगतान नहीं किया जायेगा।
 9. टोल टैक्स/सर्विस टैक्स/वाहन पार्किंग की जिम्मेदारी राजस्थान राज्य के लिए फर्म की होगी एवं अन्य राज्यों के लिए सभी प्रकार के टैक्सों का पुनर्भरण विश्वविद्यालय द्वारा किया जावेगा।
 10. जी एस टी बिल ही पारित किए जाएंगे जिसका पुनर्भरण विश्वविद्यालय करेगा।
 11. वर्ष 2021 - 22 के दौरान जो दरे स्वीकृत की गई है उसी के अनुसार भुगतान किया जायेगा ईधन के मूल्य में वृद्धि होने के कारण दरो के किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जायेगी।
 12. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा और जो भी भुगतान किया जायेगा वह आयकर की कटौती करने के बाद बैंक द्वारा किया जायेगा।
 13. बीकानेर के स्थानीय कार्य हेतु वाहन लेने पर 100 कि.मी. से अधिक चलने पर 100 कि.मी. की एक मुश्त राशि अतिरिक्त प्रति कि.मी. की राशि देय होगी।
 14. उपरोक्त दरे 500/-रु के NJS पर फर्म द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्ता के साथ 10 दिनों में Agreement करने पर ही मान्य होगा।
 15. प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार है कि निविदा को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं और निविदादाता द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने पर उसे पाबंद करने हेतु भी अधिकृत है।
 16. उपरोक्त दरे एक वर्ष के लिए मान्य होंगी एवं आवश्यकतानुसार बढ़ाया व घटाया जा सकता है।
 17. अनुमोदित फर्म द्वारा निर्धारित वाहन (आदेशानुसार) नहीं उपलब्ध कराने की स्थिति में ठेके को निरस्त समझा जाए।
 18. फर्म का प्रोपराईटर स्वयं अपना परिचय पत्र प्रस्तुत कर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकेगा।
 19. मिनिमम वेजेज, विनिमम वेजेज नियम-1948 के अनुसार देय है।

Pool Officer

Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences
Bikaner/Raj.